भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 649

03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ
विषय: बीज और उर्वरकों की उपलब्धता

649. श्रीमती मालविका देवीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसानों को सही मूल्य पर और सही समय पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और खरीफ और रबी के दौरान मिलावटी बीजों की बिक्री को किस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा;

(ख) मंत्रालय यह किस प्रकार सुनिश्चित करने जा रहा है कि किसानों को जैव उर्वरक प्राप्त हो रहे हैं और आकांक्षी जिलों में मंत्रालय द्वारा छोटे किसानों के बीच जैव उर्वरकों के उपयोग को किस प्रकार बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा किसानों को स्वदेशी पारंपरिक दुर्लभ किस्म की फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) प्रत्येक खरीफ और रबी सीजन से पहले आयोजित किए जाने वाले कृषि इनपुट संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित एजेंसियों के साथ समय-समय पर आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करके गुणवत्तापूर्ण बीजों और उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

किफायती कीमतों पर बीज उपलब्ध कराने के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन -तिलहन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) जैसी स्कीमों के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों के वितरण, राष्ट्रीय बीज रिजर्व के निर्माण, बीज इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढीकरण, किसान प्रशिक्षणों, प्रदर्शनों और दलहन तथा पोषक अनाजों की नई उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी) के मिनीकिट के निःशुल्क वितरण सहित बीज संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन कार्यकलापों से उत्पादकता बढ़ती है और खेती की लागत कम करने में मदद मिलती है। किसानों को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बीज उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अलावा, बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 अधिसूचित किया है, जिसके अंतर्गत बीटी कॉटन बीजों की अधिकतम विक्रय कीमतें प्रति वर्ष निर्धारित की जाती हैं।

उर्वरक की आवश्यकता को उपजाऊ क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, पूर्व उपभोग पैटर्न और मृदा उर्वरता की स्थिति के आधार पर आकलित किया जाता है और प्रत्येक फसल सीजन से पहले इसकी निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग को सूचित किया जाता है। सरकार किफायती दरों पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसकी कीमत अधिसूचित करती है।

उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के तहत, कंपनियों को उर्वरकों पर 100% सब्सिडी, खुदरा दुकानों पर आधार-प्रमाणित प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से किसानों को वास्तविक बिक्री के आधार पर जारी की जाती है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि लक्षित सब्सिडी वितरण और रियायती कीमतों पर उर्वरकों की आपूर्ति में कोई बाधा न आए।

बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करने और नकली बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए, बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 राज्य सरकारों को बीज निरीक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार देते हैं। ये निरीक्षक बीज दुकानों का निरीक्षण करते हैं, नमूने लेते हैं और लाइसेंस रद्द करने, भंडार जब्त करने, बिक्री रोकने के आदेश जारी करने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने सहित प्रवर्तनीय कार्रवाई करते हैं।

इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला में बीजों की संपूर्ण डिजिटल ट्रेसेबिलिटी को सक्षम बनाने के लिए साथी (बीज प्रमाणीकरण, पता लगाने की क्षमता और समग्र सूचीकरण) पोर्टल शुरू किया गया है जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और खरीफ तथा रबी सीजन के दौरान नकली और निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के प्रचलन को रोकने में मदद मिलती है।

(ख) भारत सरकार ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत जैविक उर्वरक, जैव-उर्वरक, ऑयल रहित केक, जैविक कार्बन संवर्धक और नैनो उर्वरकों को अधिसूचित किया है ताकि ऐसे उर्वरकों की विनियमित आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक और जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जो किसानों को उत्पादन से लेकर प्रमाणीकरण और विपणन तक हर स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं। ये स्कीमें क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाती हैं और इनमें आकांक्षी जिलों सहित छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि सतत जैविक मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सके और किसानों की आय में सुधार किया जा सके। इनका कार्यान्वयन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के अंतर्गत, पारंपरिक किस्मों के बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित माध्यमों से सहायता प्रदान की जाती है:

• बीजों का 50% लागत पर वितरण

• अनाज और मिलेट्स के लिए ₹1000 प्रति क्विंटल तथा दलहन और तिलहन के लिए ₹2000 प्रति क्विंटल का बीज उत्पादन प्रोत्साहन

• क्षमता निर्माण कार्यक्रम

• सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना के लिए ₹50 लाख की एकमुश्त सहायता

इसके अलावा, पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001 के तहत, किसानों को स्वदेशी पारंपरिक किस्मों के संरक्षण और खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:

• बौद्धिक संपदा संरक्षण के साथ किसानों की किस्मों का पंजीकरण (अब तक 5241 किस्में पंजीकृत)

• प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड्स, किसान पुरस्कार और किसान मान्यता के माध्यम से मान्यता (45 सामुदायिक पुरस्कार, 69 पुरस्कार और 88 मान्यताएं प्रदान की गईं)

*****